Title: Need to include Tarkhana Caste in Himachal Pradesh in the list of Scheduled Castes and Gaddi and Gujjar castes in the list of Scheduled Tribes.

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लकड़ी का कार्य करने वाले तरखानों (बढ़ई) जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है और इसी प्रकार पुराने हिमाचल प्रदेश में रह रहे गुज्जरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और वे समुदाय अपने-अपने हिस्से के अनुसार सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन राज्य पुनर्गठन के पश्चात् हिमाचल प्रदेश में पंजाब के कुछ भागों को शामिल किया गया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में रहने वाले तरखानों को अनुसूचित जाति एवं गुज्जरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के एक भाग में रहने वाले तरखानों तथा गुज्जरों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं मिल रही हैं और दूसरो भाग में रहने वाले इन्हीं जाति के लोगों को उन सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इस प्रकार से एक विसंगति पैदा हो गई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विाय की महत्ता एवं गंभीरता को समझते हुए तत्काल विसंगति को दूर करने का निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश में पुनर्गठन के पश्चात् शामिल हिस्सों में रह रहे तरखानों को अनुसूचित जाति एवं गुज्जरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके।